http://vaad.up.nic.in/Judgement/print_cout_Order_Demo.aps/a..

मण्डल :— फैजाबाद, जनपद :— अम्बेडकरनगर, तहसील :— अकबरपुर
न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्या :— T201804040101405

अनिल कुमार जायसवाल पुत्र दुर्गा प्रसाद जायसवाल आदि.................. बनाम गांव सभा

अंतर्गत धारा:— 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता— 2006
आदेश तिथि: 18 / 03 / 2019

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनिल कुमार जायसवाल, सुनील कुमार जायसवाल, श्रीमती बीना जायसवाल, अंजू जायसवाल निवासी ग्राम विजयगांव अकबरपुर अम्बेडकरनगर ने द्वारा ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था की धारा 80 उ0 प्र0 राजस्व संहिता2006 के अन्तर्गत गाटा सं0 235 रकबा 0.380 हे0 स्थित ग्राम विजयगांव उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया है कि प्रार्थीगण उपरोक्त गाटों के सह संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है । उपरोक्त गाटों के सम्पूर्ण रकबों पर पूर्ण रूप से प्रार्थीगण के मकान बने हुए हैं। कृषि कार्य नही होता है, जिसे अकृषिक घोषित किये जाने की याचना किया है।

प्रार्थना पत्र की जांच कराई गयी। नायब तहसीलदार अकबरपुर, राजस्व निरीक्षक व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्यानुसार गाटा सं0 235 रकबा 0.380 हे0 स्थित प्रधान ग्राम पंचायत विजयगांव अकबरपुर अम्बेडकरनगर अनिल कुमार जायसवाल, सुनील कुमार जायसवाल, श्रीमती बीना जायसवाल, अंजू जायसवाल निवासी ग्राम के नाम अभिलेख में संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि में पूर्णतयः अकृषिक प्रयोग में लायी जाती है। गाटा सं0 235 रकबा 0.380 हे0 को अकृषिक दर्ज किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एव नायब तहसीलदार(ज) की आख्या दिनांक 18.03.2019 का अवलोकन किया गया । जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा सं0 235 रकबा 0.380 हे0 के आवेदकगण अनिल कुमार जायसवाल, सुनील कुमार जायसवाल, श्रीमती बीना जायसवाल, अंजू जायसवाल संक्रमणीय भूमिधर है जिसपर इन लोंगो द्वारा व्यवसायिक मकान बनाया गया है जो कृषि से इतर प्रयोग हो रहा है । आवेदकगणों का उक्त गाटा पर व्यवसायिक मकान बना होने के कारण भू— मूल्यांकन का 1% मूल्य 40760 (चालिस हजार सात सौ साठ रूपये) द्वारा ट्रेजरी चालान संख्या 12 दिनांक 18.03.2019 जमा करके रसीद संलग्न पत्रावली किया है। सह खातेदारों को नोटिस जारी की गयी है, जो वादतामीला संलग्न पत्रावली है, कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं है। जिन खातेदारों को नोटिस तामिला नही है उनके द्वारा आवेदकगण के पक्ष में नोटरी शपथ पत्र दाखिल किया गया है, कि हम शपथीगण उक्त गाटा के सहखातेदार हैं, आवेदकगण अनिल कुमार जायसवाल, सुनील कुमार जायसवाल, श्रीमती बीना जायसवाल, अंजू जायसवाल आदि अपने अंश की भूमि को अकृषिक दर्ज करवा रहें हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

आदेश

ग्राम विजयगांव अकबरपुर अम्बेडकरनगर की गाटा सं0 235 रकबा 0.380 हे0 लगान परता से मुक्त करते हुए, धारा 80 उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक अकबरपुर को भेजी जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी
अकबरपुर—अम्बेडकरनगर

द्वारा प्रति
18.03.19

सत्य प्रतिलिपि
18/03/19

शब्द लम्बाई - 994

प्रार्थना पत्र क्रमांक 1056